(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2885–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–7–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 164/2015–16/अपील.

भूपेन्द्र पटेल पुत्र नन्दन सिंह
निवासी ग्राम सालवई काशीपुर
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

सुच्चा सिंह पुत्र रतन सिंह
निवासी ग्राम सालवई
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी,, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, डबरा के समक्ष संहिता की धारा 73 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम

सालवई स्थित उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 1597 मिन रकबा 0.199 हेक्टेयर के बटान हेतु अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–5–13 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटान स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–8–13 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–14 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1743–पीबीआर/14 प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3–12–05 को आदेश पारित किया जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार के प्रकरण में आई साक्ष्यों का विस्तार से विवेचना कर यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का पुनः गुण–दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–7–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–5–13 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा सर्वे कमांक 1597 में से रकबा 0.199 हेक्टेयर भूमि अनावेदक को बटांकित कर दी गई थी, परन्तु नक्शे में सर्वे कमांक 1598 का रकबा बढ़ाये जाने से अनावेदक का सर्वे कमांक 1597 का रकबा 0.199 भाग

नक्शे में प्रदर्शित कर दिया गया है, जबकि उक्त सर्वे कमांक 1597 का क्षेत्रफल 3 बीघा 3 बिस्वा में से आवेदक द्वारा भूमि कय की गई है, इसलिए वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उसे हितबद्ध पक्षकार नहीं मानने में गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि विकेता सीताराम के पास 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी और इतनी ही भूमि सीताराम ने आवेदक को विकय कर दी गई थी, अतः सीताराम के पास कोई भूमि शेष नहीं थी, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि में से 19 बिस्वा भूमि अनावेदक को बटांकित करने में न्यायिक त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा उपरोक्त स्थिति अभिलेख सहित अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उन पर अपर आयुक्त द्वारा विचार नहीं कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के समक्ष पटवारी द्वारा प्रस्तुत बटांकन प्रस्तुत को अपने आदेश में आधार बनाया गया है, जबकि उक्त बटांकन प्रस्ताव कब्जे के आधार पर तैयार किया गया था, स्वत्व के आधार पर नहीं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना आवेदक को पक्षकार बनाये और बिना दस्तावेज पर विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अपर आयुक्त द्वारा विधिवत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर बटांकन प्रस्ताव

कृषकों के कब्जे के अनुसार तैयार किया गया है । आवेदक द्वारा भूतपूर्व भूमिस्वामी सीताराम से भूमि कय किये जाने के आधार अपर आयुक्त द्वारा उन्हें अनावेदक कमांक 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है । आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष सर्वे कमांक 1597 की सीमाओं के संबंध में कोई भी विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सर्वे नम्बर 1597/1 से आवेदक के हित प्रभावित है । उनके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं की गई है । इस प्रकार आवेदक सर्वे नम्बर 1597/1 के संबंध में प्रभावित पक्षकार परिलक्षित नहीं होता है । आवेदक के हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर